

मानक आकार पत्र-1

पुनर्ग्रहण आदेश

संख्या-140/आठ-01/2025-26/रा0सहा0-1

दिनांक: 18/10/2025

उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 व पश्चात्तर्वी निर्गत समविषयक शासनादेश सं0-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथासंशोधित की, धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 एवं शासनादेश सं0-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 तथा शासकीय अधिसूचना सं0-688/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं **आञ्जनेय कुमार सिंह**, मण्डलायुक्त, मुरादाबाद संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेकर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निवर्तन पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की गोविन्दपुरम आवासीय योजना हेतु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के पक्ष में पुनर्ग्रहीत कर सःशुल्क उपलब्ध कराता हूँ।

जिलाधिकारी, मुरादाबाद पुनर्ग्रहण के लिये प्रस्तावित ग्राम-मनोहरपुर तहसील मुरादाबाद स्थित ग्रामसमाज की भूमि का चार गुना (ग्रामीण क्षेत्र हेतु) मूल्य, ग्राम मनोहरपुर की जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित दर के आधार पर रूपये 1430/-प्रति वर्गमीटर X 7390 X 4 = 4,22,70,800/- आगणित मूल्य एवं वार्षिक किराया जिलाधिकारी, मुरादाबाद के उपरोक्त पत्र में उल्लिखित किये गये विवरण के अनुसार ग्राम-मनोहरपुर की माल गुजारी शून्य दर्शायी गयी है। (पुनर्ग्रहण प्रस्ताव में की गयी गणनानुसार) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद से राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा करायेंगे तथा जमा की रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये। इसके उपरान्त ही राजस्व अभिलेखों में आदेश का इन्द्राज किया जाये।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (है० में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मनोहरपुर	115 126 142 151 165 168 169 179 183 196 281 149 239 259/1303 195 264	0.0120है० 0.0750है० 0.0200है० 0.0160है० 0.0260है० 0.0310है० 0.0180है० 0.0680है० 0.0730है० 0.0770है० 0.0040है० 0.1280है० 0.0110है० 0.0400है० 0.0600है० 0.0800है०	श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 रास्ता श्रेणी-6-2 रास्ता श्रेणी-6-2 रास्ता श्रेणी-6-1 नाली श्रेणी-5-3 बंजर	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की गोविन्दपुरम आवासीय योजना हेतु
					कुल 16 किता	कुल रकबा 0.7390है०		

उपरोक्त आदेश द्वारा परगना-सदर तहसील व जिला-मुरादाबाद की ग्राम पंचायत मनोहरपुर में अनुसूची के स्तम्भ-6 एवं 7 में उल्लिखित गाटा/क्षेत्रफल में "मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की गोविन्दपुरम आवासीय योजना हेतु" आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निवर्तन पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहीत की जा रही है, उपरोक्त भूमि का, उपलब्ध कराये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2015 द्वारा यथासंशोधित, की धारा-59 अन्तर्गत यथानिर्दिष्ट प्रबन्धन और नियंत्रण अब आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ का होगा।

आज्ञा से

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।

कार्यालय

आयुक्त,

मुरादाबाद


मण्डल,

मुरादाबाद।

संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-5, लखनऊ।
- 4- जिला अधिकारी, मुरादाबाद।
- 5- उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
- 6- नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद।
- 7- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद।
- 8- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, सदर जनपद-मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश में निर्धारित समस्त धनराशि जमा होने के उपरान्त ही आदेश का राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद कराकर उद्वरण खतौनी की 03 प्रमाणित प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित विभाग को कब्जा हस्तगत करायें।
- 9- प्रधान, ग्राम पंचायत, मनोहरपुर, वि0खं0 एवं जनपद-मुरादाबाद।


मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115188202510552

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
168	1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद की गोविन्दपुरम आवासीय योजना / . / .	1) अन्य / 140/8-01/2025/रा0सहा / 18-10-2025 / पुनर्ग्रहण		168(1151880168000062)	0.0310	1) -	1) 0.0310	
							0.0310	
कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.0310 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0310)(हेक्टेयर)								
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया			
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)		

1) अन्व / 140/8-01/2025/रा0सहा / 18-10-2025 / पुनर्ग्रहण / RAM SINGH RAWAT / 27-10-2025	1.1) चक मार्ग / . / . (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)	168(1151880168000062)	1.1) 0.0310	1.1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद की गोविन्दपुरम आवासीय योजना / . / .	168(1151880168000062)	1.1) 0.0310
---	--	-----------------------	-------------	--	-----------------------	-------------

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1415फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद स.6/2008धारा161जि0वि0अधिनियम आदेश दि.19.5.08के अत्रतगतइण्डियन रेलवे बेलफे यर आर्गेनाइजेशन रेलवे कम्पलेक्स शंकर मार्केट के पीछे ेद्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर के एस.रावत पुत्र स्व0के दार सिंह रावतनिवासी आशियाना बनाम ग्राम सभा मनोहरपुर
- 2) तहसील मुरादाबाद द्वारा प्रधान, मे तहसील आख्या के आधार पर खाता सं.401गाटा सं.1149मि/0.040,1150/ 0.211कु ल 2कि ते 0.251व खाता सं.301के गाटा सं.108 मि /0.002, खाता सं.293के गाटासं.109मि /0.021,व खाता सं.277गाटा सं.111मि/0.015स्थित ग्राममनोहरपुर तहसील व जिलामुरादाबाद को ग्राम सभा
- 3) मनोहरपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की खाता सं.671के गाटा सं.91 रकबा 0.026गाटा सं.93रकबा 0.114,104/0.059,106मि /0.024स्थित ग्राम मनोहरपुर तह0व जिला मुरादाबाद विनिमय स्वीकार कि या जाता है ह0आर.के...23.5.08
- 4) 1426फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद दिनांक 11.10.18 के अनुपालन मे कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद पत्र संख्या 1457(1) जि0भू0व्य0सहा0विनिमय /2018-19 दिनांक 6 अक्टूबर 2018 के क्रम मे उ0प्र0शासन राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2048/एक 1-2018 रा-1 दिनांक 9.10.18 जिसके अन्तर्गत ग्राम मनोहरपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित सार्वजनिक उपयोग की भूमि चकरोड गाटा सं0 754 क्षेत्रफल 0.059हे0के अंश भाग 0.0282हे0 का सशुल्क श्रेणी परिवर्तन कर इण्डियन रेलवे वैलफेयर जनरल अर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड रेलवे कम्पलेक्स शंकर मार्केट के पीछे नई दिल्ली की भूमि गाटा सं0 751 में से 0.020हे0तथा गाटा सं0 753 मे से 0.0138हे0 कुल 0.0338हे0 भूमि को वैकल्पिक चक मार्ग के रूप मे उ0प्र0राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है ा उक्त के अनुपालन में गाटा सं0 754 रकवा 0.059हे0के अंश भाग 0.0282हे0पर इण्डियन रेलवे वैलफेयर जनरल आर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड रेलवे कम्पलेक्स नई दिल्ली के नाम दर्ज की जाती है ा तथा गाटा सं0 751 के अंश भाग 0.020हे0व गाटा सं0 753 के अंश भाग 0.0138हे0कुल 0.0338हे0के वैकल्पिक चक मार्ग के लिये दर्ज किया जाता है ा ह0आर0के0दि 13.10.18

Data Digitally Signed by:RAM SINGH RAWAT(RAGISTRAR KANOONGO)

दिनांक/समय/स्थान: 27-10-2025 07:30:15 तहसील : मुरादाबाद

यह उदरण खतोनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : TUSHAR BHATNAGAR तहसील : मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 27-10-2025 07:30:15

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उदरण खतोनी का वेरीफिकेशन <https://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।



भार मुक्त प्रमाण-पत्र

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की गोविन्दपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत, ग्राम मनोहरपुर स्थित श्रेणी-5 व 6 की भूमि, का पुनर्ग्रहण आदेश, आयुक्त महोदय, मुरादाबाद द्वारा आदेश, सं0-140/आठ-2-2025-26/रा0सहा0-1 दिनांक 18.10.2025 के द्वारा किया गया है। उक्त आदेश में वर्णित गाटो का विवरण निम्नवत् है :-

क्र. सं.	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मनोहरपुर	115 126 142 151 165 168 169 179 183 196 281 149 239 259/1303 195 264	0.0120 है0 0.0750 है0 0.0200 है0 0.0160 है0 0.0260 है0 0.0310 है0 0.0180 है0 0.0680 है0 0.0730 है0 0.0770 है0 0.0040 है0 0.1280 है0 0.0110 है0 0.0400 है0 0.0600 है0 0.0800 है0	श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 चकमार्ग श्रेणी-6-2 रास्ता श्रेणी-6-2 रास्ता श्रेणी-6-1 नाली श्रेणी-5-3 बंजर	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की गोविन्दपुरम आवासीय योजना हेतु।
					कुल 16 कित्ता	कुल रकबा 0.7390 है0		


उक्त के क्रम में, आदेश में वर्णित भूमि का, वर्तमान राजस्व अभिलेखों में, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की गोविन्दपुरम आवासीय योजना का नाम दर्ज किया जा चुका है।


अतः आयुक्त महोदय, मुरादाबाद द्वारा पारित पुनर्ग्रहण आदेश में वर्णित भूमि, जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों में, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की गोविन्दपुरम आवासीय योजना के नाम दर्ज है, पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं है।


संलग्नक:-

1-आदेश दिनांक 18.10.2025

2-उद्धरण खतौनी


 28/10/25
 तुषार चौधरी लेखपाल
 डी.एम. इतेर
 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण


 28/10/25
 R.P


 28/10/25
 तहसीलदार
 मुरादाबाद